



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 18 अप्रैल 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक संवत्) [संख्या 16

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	197-214	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	239-252	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	761-794	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

19 जुलाई, 2023 ई०

सं० 4146/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री दिनेश गुप्ता	श्री छेदी लाल गुप्ता	277	54100057732	वाराणसी	एस-3/45, ए -2 छोटालालपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी- 221002	गाजीपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ०प्र० राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4147/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अनिल कुमार पटेल	श्री केशव प्रसाद पटेल	188	54100073809	वाराणसी	ग्राम-कनेरी, पोस्ट-गंगापुर, थाना-रोहनियां, वाराणसी-221302	गाजीपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4148/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री राजेश कुमार सिंह	श्री आधार चन्द्र सिंह	76	54100102555	गोरखपुर	97-हुमायूँपुर, नार्थ, लाजपत नगर, गोरखपुर-373015	देवरिया

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4149/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री कीर्तिका सक्सेना	श्री संदीप कुमार सक्सेना	142	54100052649	गोरखपुर	निवासी-केयर ऑफ संदीप कुमार सक्सेना, 363, टीचर कालोनी, बिसाइड-राज विद्या केन्द्र पीपीगंज, गोरखपुर-273165	संत कबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)– कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4150/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती अवंतिका जायसवाल	W/o श्री मृदुल रंजन	337	54100146382	गोरखपुर	निवासी-56, मुण्डेरा बाजार, वार्ड नं0-09, काली मंदिर के पास चौरी-चौरा, गोरखपुर-273201	वाराणसी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)— कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4151/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री पौरुष श्रीवास्तव	श्री यतीन्द्र मोहन श्रीवास्तव	177	54100016559	गोरखपुर	द्वारा-एम0 श्रीवास्तव, एफ-43, राप्तीनगर, फेज-4, गोरखपुर-273013	देवरिया

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4152/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री दीपा पाण्डेय	श्री दिग्विजय नाथ पाण्डेय	204	54100074906	गोरखपुर	डी-319, निकट अन्धियारीबाग, रामलीला मैदान, गोरखनाथ गोरखपुर-273015	संत कबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4153/96-आयुष-1-2023-155/2017–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री कुमारी शीरीन परवीन	स्व0 एजाज अहमद	333	54100153267	गोरखपुर	निवासी-76, निकट सदर हास्पिटल, मेवातीपुर, गोरखपुर-273001	स्तकबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4154/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री विवेका नन्द	श्री हरि शंकर दुबे	299	54100070715	गोरखपुर	ग्राम-डेलूआडीह, पोस्ट-हरपुर बुढात, गोरखपुर-273209	कुशीनगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4155/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री ममता सिंह	W/o श्री गनेश यादव	230	54100159969	गोरखपुर	निवासी-ग्राम-महरी, पो0-चिउटहना गोरखपुर-273306	संत कबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा-नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4156/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री नेहा गोस्वामी	श्री इन्द्रदेव भारती	213	54100131441	गोरखपुर	निवासी-9 101, गंधार सहारा स्टेट रामगढ़ ताल, पो0-खोराबार उर्फ सूबाबाजार गोरखपुर-273008	संत कबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4157/96-आयुष-1-2023-155/2017—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग,

उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री कोमल अग्रवाल	श्री राजीव कान्त अग्रवाल	263	54100132149	बरेली	निवासी-मकान नं0 25 स्टेट बैंक आफिसर्स कालोनी, बनखाना बरेली, 243001	बदायूँ

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

- 5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- 6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- 7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
- 8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
- 9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

राजस्व विभाग

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

28 फरवरी, 2026 ई०

सं० 273/अ०जि०भू०अ०/आगरा-कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा अम्बाह-पिनाहट मार्ग में चम्बल नदी पर पुल निर्माण हेतु जिला आगरा, जनपद-बांह परगना व तहसील बांह, ग्राम पिनाहट में स्थित 1.28579 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 53/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 12 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर आगरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर आगरा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला-आगरा, तहसील-बांहा परगना बांहा ग्राम पिनाहट की निरंक हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
आगरा	बांहा	बांहा	पिनाहट	2971	0.0679
				2972क	0.01580
				2972मि०	0.01978
				2972मि०	0.00872
				2972मि०	0.00632
				2972 / 3मि०	0.00130
				2972 / 1मि०	0.00261
				2972 / 2मि०	0.00267
				2972मि०	0.00789
				2973मि०	0.2350
				2973मि०	0.3227
				2974मि०	0.1110
				2974	0.0200
				2974मि०	0.0383
				2974मि०	0.0655
				2978क	0.0165
				2978मि०	0.2184

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
आगरा	बांह	बांह	पिनाहट	2978क	0.0054
				2978मि०	0.0484
				2979	0.0716
				योग.	1.28579

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

—शून्य—

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा भूमि अध्याप्ति कलेक्टर आगरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की अम्बाह-पिनाहट मार्ग में चम्बल नदी पर पुल निर्माण हेतु जनपद-आगरा, तहसील व परगना बांह, ग्राम पिनाहट में स्थित 1.28579 हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 53/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 19 नवम्बर, 2025 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,

कलेक्टर, आगरा।

REVENUE DEPARTMENT**FORM-19**

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION*February 28, 2026*

No. 273/A.D.M.(L.A.)AGRA—Whereas Preliminary notification no. 53/A.D.M./(L.A.)/AGRA Dated 19.11.2025 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.28579 hectares of land in Village-Pinahat, Pargana & Tehsil-Bah, District-Agra is required for public purpose, Construction of High Level Bridge across Chambal river on Ambh-Pinahat Road through Executive Engineer, P.W.D. Bridge Construction Division Gwalior and lastly published on dated 12.02.2026 The Deputy Collector/Assistant Collector- Agra was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A.) submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector Agra is declare under section 19 (1) of the Act Under the power of Governor with government Order dated 06.08.2014, he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in Village-Pinahat, pargana & tehsil-Bah, District-Agra, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector(L.A.) of Agra to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Agra	Bah	Bah	Pinahat	2971	0.0679
				2972	0.01580
				2972मि०	0.01978

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Agra	Bah	Bah	Pinahat	2972मि०	0.00872
				2972मि०	0.00632
				2972 / 3मि०	0.00130
				2972 / 1मि०	0.00261
				2972 / 2मि०	0.00267
				2972मि०	0.00789
				2973मि०	0.2350
				2973मि०	0.3227
				2974मि०	0.1110
				2974	0.0200
				2974मि०	0.0383
				2974मि०	0.0655
				2978क	0.0165
				2978मि०	0.2184
				2978क	0.0054
				2978मि०	0.0484
				2979	0.0716
Total . .					1.28579

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hectares)
1	2	3	4	5	6

----Nil----

NOTE-A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the Order of declaration made under Government notification no. 53/A.D.M.(L.A.)/AGRA Dated 19.11.2025 for 1.28579 hectares of land in Village- Pinahat, pargana & Tehsil- Bah, District-Agra is required for public purpose, namely, project Construction of High Level Bridge across Chambal river on Ambh-Pinahat road through Executive Engineer, P.W.D. Bridge Construction Division Gwalior I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme alongwith Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

Collector, Agra.

कार्यालय, जिलाधिकारी मीरजापुर

**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की अधिसूचना**

18 मार्च, 2026 ई०

सं० 9258/आठ-वि०भू०अ०अ०(सि०)मीरजापुर-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर मीरजापुर की राय है कि जनपद-मीरजापुर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ग्राम-समसपुर में रकबा- 8.4080 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

जनपद-मीरजापुर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार परियोजना के निर्माण कार्य से नकारात्मक प्रभाव नग्न्य है, सकारात्मक प्रभाव काफी अधिक है। प्रभावित परिवारों को इस सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया को अपनाते हुये वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया के अनुसार भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जाय।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती है —

अनुसूची-क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मीरजापुर	चुनार	हवेली	समसपुर	432	0.3160
				433	0.1140
				434	0.1520
				438 / 1	0.1900
				439	0.2780
				441	0.3790
				442 / 1	0.2530
				443 / 1	0.2280
				444	0.2020
				445	0.5560
				446	0.2530
				446 / 1	0.1010
				446 / 3	0.1260
				516 / 2	0.4810
				516 / 1	0.5060
				454 / 1	0.1260
				468 / 1	0.3540
				469	0.8850
				470 मि०	0.8470
				471 / 1	0.3160
				472 / 1	0.2020
				465 / 1	0.1900

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मीरजापुर	चुनार	हवेली	समसपुर	465 / 2	0.1900
				466	0.2400
				464 / 1	0.5060
				463	0.4170
				योग .	8.4080

6— भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर मीरजापुर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MIRZAPUR

Notification under Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

March 18, 2026

No. 9258/VIII-S.L.A.O.(IRRI.)Mirzapur—Under Sub-section(1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector Mirzapur is of the opinion that for the construction work of Armed Police Training School Chunar Project in Mirzapur District, land measuring 8.4080 hectares is required in Village Samaspur.

2- The State Social Impact Assessment Agency has conducted the Social Impact Assessment Study and submitted its recommendation to the appropriate Government which has been approved by the appropriate Government on 16.03.2026

3- The summary of the Social Impact Assessment is as follows:-

The negative impact of the construction of the Armed Police Training School Chunar Project in Mirzapur District is negligible, while the positive impact is significant. The desired land should be acquired

for the affected families by following the compensation process suggested in this Social Impact Assessment report. Families affected by land acquisition should be provided with all the benefits under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, as per the compensation process suggested in the Social Impact Assessment report.

4- No family is being displaced due to land acquisition.

5- The Governor is pleased to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose –

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Acquired Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Mirzapur	Chunar	Haveli	Samaspur	432	0.3160
				433	0.1140
				434	0.1520
				438 / 1	0.1900
				439	0.2780
				441	0.3790
				442 / 1	0.2530
				443 / 1	0.2280
				444	0.2020
				445	0.5560
				446	0.2530
				446 / 1	0.1010
				446 / 3	0.1260
				516 / 2	0.4810
				516 / 1	0.5060
				454 / 1	0.1260
				468 / 1	0.3540
				469	0.8850
				470 मि०	0.8470
				471 / 1	0.3160
				472 / 1	0.2020

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Mirzapur	Chunar	Haveli	Samaspur	465 / 1	0.1900
				465 / 2	0.1900
				466	0.2400
				464 / 1	0.5060
				463	0.4170
				Total ...	8.4080

6- The Governor hereby directs the Collector to take necessary steps for the purpose of land acquisition as specified and provided under Section 12 of the Land Acquisition Act and to survey the land, level the land, excavate the land and take all necessary actions for the proper execution of the work.

7- Under section 15 of the Act, any person having interest in the land may within 60 days of the publication of the notification, submit his objection in writing to the Collector Mirzapur/Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur against the acquisition of land in his area.

8- Under section 11(4) of the Act, no person can deal with, sell or purchase any land specified in the preliminary notification from the date of publication of the notification till the completion of the land acquisition proceedings without the prior approval of the Collector and create any encumbrance on that land.

Note- The land map of the said land can be seen in the Office of Collector Mirzapur/Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur.

District Magistrate
Mirzapur.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
विज्ञप्ति

09 मई, 2025 ई०

दौराला जनपद मेरठ के ग्राम चिन्दौड़ी टप्पा लावड़ में
चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

14 मई, 2025 ई०

सं० 2353/जी०-41/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सरधना परगना

सं० 2417/जी०-352/2024-25/धारा-52(1)- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करहल परगना बरनाहल जनपद मैनपुरी के ग्राम जगन्नाथपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2419/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर जनपद बरेली के ग्राम बरगवां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2420/जी0-38ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज जनपद कन्नौज के ग्राम अटारानिस्फ ठठिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2421/जी0-354/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील शिकोहाबाद वर्तमान तहसील सिरसागंज परगना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के ग्राम आलीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2422/जी0-161ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी नवसृजित तहसील राजापुर परगना राजापुर जनपद चित्रकूट के ग्राम हर्रा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2423/जी0-226/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम गनूपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 4795/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपारानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम एकडंगा भाट, तप्पा-सोहनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4796/जी0-172/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तरबगंज परगना डिकिसर जनपद गोण्डा के ग्राम जफरापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

शुद्धिपत्र

17 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 4831/जी0-610/2024-25(5)—निदेशालय के पत्र संख्या-4493/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2023 द्वारा जनपद औरैया की तहसील औरैया परगना औरैया के ग्राम-सिहौली व ग्राम भगवन्तपुर को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम का नाम सिहौली व भगवन्तपुर अंकित हो गया है, जबकि ग्राम का शुद्ध नाम सिहौली मुस्तकिल व भगवन्तपुर मुस्तकिल है।

अतः चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 के अनुमोदन दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-4493/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा विज्ञप्ति में जनपद औरैया के ग्राम का नाम सिहौली के स्थान पर ग्राम सिहौली मुस्तकिल व ग्राम भगवन्तपुर के स्थान पर ग्राम भगवन्तपुर मुस्तकिल पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

03 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 4941/जी0-610/2023-24(2)—निदेशालय के पत्र संख्या-3950/जी0-610/2023-24 दिनांक 29 अगस्त,

2023 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज परगना सदर के ग्राम मुत्तूपुर बोझी व धूरीपुर तथ मिसिरपुर को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त ग्रामों का सही नाम ग्राम मत्तूपुर बोझी व धूरीपुर तथा मिश्रपुर है।

अतः चकबन्दी आयुक्त के अनुमोदन दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-3950/जी0-610/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2025 द्वारा निर्गत धारा-4(2) की विज्ञप्ति में निम्न प्रकार शुद्ध पढ़ा जाये—

क्रमांक	ग्राम का विवरण, जो शासकीय गजट में प्रकाशित हुआ है।	ग्राम का विवरण, जो शुद्ध प्रकाशित होना है।
1	2	3
1	मुत्तूपुर बोझी	मत्तूपुर बोझी
2	धूरीपुर	धूरीपुर
3	मिसिरपुर	मिश्रपुर

शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

मधु सूदन दूबे,
संयुक्त संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0-5054/जी0-610/2025-26—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4 की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड-ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से जनपद शाहजहांपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है—

क्र मां क	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा, जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	शाहजहाँपुर	पुवायां	खुटार	हंसपुर	4(2)/प्रथम चक्र

21 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 5225/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रुधौली परगना मगहर पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम बड़नी, तप्पा-रुधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5226/जी0-78/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेहदावल परगना मगहर पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम मिश्रौलिया मिश्र, तप्पा-मेहदावल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5227/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम अहिरौली तिवारी, तप्पा-गौतमा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5228/जी0-157ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील देवरिया परगना सिधुवा जोवना जनपद देवरिया के ग्राम घुड़ीकुण्ड कला तप्पा-मलसी सरैनी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5229/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के ग्राम मद्दूपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5230/जी0-163/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेजा परगना खैरागढ़ जनपद प्रयागराज के ग्राम नारतीर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5231/जी0-49ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर परगना घाटमपुर जनपद उन्नाव के ग्राम चकखुर्दहाई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5232/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0

हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना भदौव जनपद मऊ के ग्राम पकड़ी कोल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5233/जी0-248/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना बेलादौलताबाद जनपद आजमगढ़ के ग्राम उबारपुर लखमीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 716/जी0-169/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना—बिलासपुर, जनपद—रामपुर के ग्राम सरवरनगर, में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई

07 फरवरी, 2026 ई०

नगर पालिका परिषद्, पिहानी, हरदोई (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025

सं०154/न०पा०परि०पिहानी/अन्तिम प्रकाशन/2025-26-पालिका प० 945/न०पा०परि०पिहानी/नामान्तरण उपविधि प्रकाशन/2025-26 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी शासनादेश सं०-925/नौ-9- 2025- ई-नौ-9-2025-ई-1853096 दिनांक 09 मई 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद् पिहानी, हरदोई (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 को अनन्तिम रूप से प्राख्यापित कर दिया है। यह नियमावली, उ०प्र० के समस्त नगर पालिका परिषदों और पंचायतों में लागू होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं दी गई विविध उप धाराओं के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् पिहानी जनपद हरदोई ने नगर पालिका परिषद् पिहानी, हरदोई (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 प्रस्तावित किया गया है। जिसका अनुमोदन निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 16.07.2025 में किया गया है। उपविधि पर दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु उपविधि का नियमानुसार प्रकाशन समाचार-पत्रों दैनिक हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 20.12.2025 को कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमन्त्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई

आपत्ति नहीं प्राप्त हुई, तदोपरान्त पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 16.01.2026 में उपविधि को यथावत अन्तिम रूप दे दिया गया सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। निम्नवत उप विधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

नगर पालिका परिषद् पिहानी, हरदोई (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन),

उपविधि 2025

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् पिहानी, हरदोई (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद् पिहानी में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएँ—(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पालिका सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर पालिका सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुद्दिष्ट हों।

3-निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—

(1) अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पालिका कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोद्भूत होने के स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3)(क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा।

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा।

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा।

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा।

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी।

(एक) नगर पंचायत सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति।

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति।

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4)(क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4-सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया-

(1)(क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जानें, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पालिका द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पालिका के अधिषासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिषासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिषासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2)(क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पालिका को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु० 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को ऑनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों, का उपलब्ध करायेगा-

क्र० स०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दान-पत्र व अन्य के आधार	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)			
2	आवेदन की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)			
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			

1	2	3	4	5
4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि			
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो			

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर पालिका द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) अधिषासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप -3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पालिका क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पालिका द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पालिका क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिषासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिषासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिषासी अधिकारी

को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जायेगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वृसली के दृष्टिगत होगा।

5-हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिषासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिषासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिषासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिषासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता है।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर पालिका द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिषासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6- निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना—

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका को प्रस्तुत किया जाये वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामलों में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी:-

क्र० सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1000/-
3	2001-3000 तक	1500/-
4	3000 से अधिक	2500/-

(ख) नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी-

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि रुपये
1	रु० 5 लाख तक	2,000/-
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	5,000/-
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	10,000/-
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	20,000/-
5	रु० 50 लाख से ऊपर	50,000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पालिका से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अपुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चित संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

7-आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण-

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8-अपील-

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चित संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र-1**(नियम-4 (1 ख) देखें)****भवन निर्माण / पुनर्निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन सम्बन्धी सूचना-प्रपत्र**

- | | |
|---|---|
| 1. भवन स्वामी / अध्यासी का नाम। | — |
| 2. भवन संख्या / आई०डी० सहित भवन की अवस्थिति। | — |
| 3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य। | — |
| 4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं०। | — |
| 5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल। | — |
| 6. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल। | — |
| 7. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि। | — |
| 8. अध्यासन की तिथि। | — |
| 9. अन्य विवरण यदि कोई हो। | — |

स्थान-

हस्ताक्षर भवन स्वामी / अध्यासी

दिनांक-

पता-

मोबाइल नं०

प्रपत्र-2**(नियम-4(2) देखें)****निर्धारण सूची में संशोधन / परिवर्तन प्रपत्र**

- आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता-

- सम्पत्ति का विवरण-

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में-

(क) विक्रय संख्या / आई०डी० और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति—बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।

(ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी— उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

(1)

(2)

(3)

(4)

शाहीन बेगम
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
पिहानी, हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत विजयगढ़, अलीगढ़

20 जनवरी, 2026 ई०

सं० 367/न०प०विजयगढ़/2025-26—पत्र संख्या-2081/स०अनु०/2025-26 निदेशक, नगरीय उत्तर प्रदेश के पत्र सं०-423/01 नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 व पत्र संख्या-पी०एम०यू०/11823/544(1)/024 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2025 के अनुपालन में नगर पंचायत विजयगढ़ ने अपनी सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अवशिष्ट (फीकल स्लज, सैप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबन्धन) के डी-स्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुशांगिक मामलों के लिये निम्नलिखित उपविधि बनाई गई है। इस उपविधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं०-173/न०प० विजयगढ़/2025-26 दिनांक 19 जुलाई, 2025 के द्वारा समाचार-पत्र दैनिक प्रावदा अलीगढ़ एवं राजपथ अलीगढ़ में (फीकल स्लज, सैप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबन्धन) दिनांक 19 जुलाई, 2025 को प्रकाशित कराकर आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस उपविधि को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं०-6 में दिनांक 26 अप्रैल, 2025 को सर्वसम्मति से लागू किये जाने हेतु स्वीकार किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत विजयगढ़ की (फीकल स्लज, सैप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबन्धन) अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित कराई जा रही है, जो सरकारी गजट के दिनांक से नगर पंचायत विजयगढ़ की सीमान्तर्गत लागू होगी—

अध्याय-1**प्रारम्भिक—****(1)— लघु-शीर्षक और प्रारम्भ—**

i— इन विनियमों को “विजयगढ़ फीकल स्लज, सैप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2025 कहा जायेगा।

ii— ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से विजयगढ़ नगर पंचायत की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

(2)— परिभाषाएँ—

i— “एक्सेस कवर” से तात्पर्य है— निरीक्षण सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

ii— नगर पंचायत विजयगढ़ “पंजीकृत वैक्यूम टैंकर” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा फीकल स्लज एवं सैप्टेज (एफ०एस०एस०) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

iii— “विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (D.W.W.T.)” एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी०डब्ल्यू०डब्ल्यू०टी० से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

iv— “निर्दिष्ट अधिकारी” से तात्पर्य है— “नगर पंचायत विजयगढ़” का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

v— “डी-स्लजिंग” से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पंचायत विजयगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से एफ०एन०एस० को खाली करने का काम अभिप्रेत है

vi— “निपटान” से एफ०एस०एन० का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

vii— “उत्प्रवाही” किसी ओ०एस०एस० से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

viii— “फीकल स्लज” से ओ०एस०एस० की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

ix— “फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.)” सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफ०एस०एस० ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) भी अभिप्रेत किया जा सकता है अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

x— “लाइसेंस” से तात्पर्य है— नगर पंचायत विजयगढ़” किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पंचायत विजयगढ़ के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

xi— “लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” से तात्पर्य है— डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ०एस०एस० के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

xii— “अधिसूचित स्थान” से तात्पर्य है— एफ०एस०एस० पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

xiii— “ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था” (O.S.S.) ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर वह उत्पन्न होता है।

xiv— “प्रचालक” से तात्पर्य है— एफ०एस०एस० के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

xv— “व्यक्ति” प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो कि नहीं।

xvi— “शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग” सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एण्ड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सी०पी०एच०ई०ई०ओ०) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओ०एस०एस० को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

xvii— “सेप्टेज” सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

xviii— “सीवेज” अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

xix— “सीवर” से तात्पर्य है—समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाइन।

xx— “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट” से तात्पर्य है—वह स्थान जहाँ सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

xxi— “कार्यबल” से तात्पर्य है शहर में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत विजयगढ़ और अध्यक्ष नगर पंचायत विजयगढ़ की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

xxii— नगर पंचायत विजयगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ०एस०एस०) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

xxiii— “परिवहन” से तात्पर्य है— (N.P.H.) पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ०एस०एस० को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

xxiv— “ट्रीटमेंट” से तात्पर्य है—प्रदुषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया।

xxv— “वैक्यूम टैंकर” एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओ0एस0एस0 से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंच व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

xxvi— “अपशिष्ट जल” से तात्पर्य है—घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन—

(3)— परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्—

i— यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरज प्रणाली से जोड़े।

ii— अपशिष्ट जल को नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

iii— जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा, ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीट-मेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्री-टेड अपशिष्ट जल का बागवानी/पलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

iv— परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

(4)— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

i— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: अशोधित “मैनुअल ऑन सीवरज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत विजयगढ़ या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

ii— ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देखरेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

iii— परिसर का मालिक/धारक नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

iv— परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

v— परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर नगर पंचायत विजयगढ़ या के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

vi— नगर पंचायत विजयगढ़ या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत विजयगढ़ परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

vii— नगर पंचायत विजयगढ़ अपने विवेक से, सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

(5) नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

i— नगर पंचायत विजयगढ़ निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में विजयगढ़ शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

ii— नगर पंचायत विजयगढ़ अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहाँ उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii— एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

iv— नगर पंचायत विजयगढ़ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

v— लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

vi— नगर पंचायत विजयगढ़ आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। नगर पंचायत विजयगढ़ अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पंचायत विजयगढ़ को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय नगर पंचायत विजयगढ़ में मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

(6) लाइसेंस जारी करने हेतु मापदण्ड—

i— लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित "व्यक्ति" है।

ii— आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होना चाहिए।

iii— विजयगढ़ में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

iv— आवेदक नगर पंचायत विजयगढ़ के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

v— आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

vi— आवेदक नगर पंचायत विजयगढ़ अथवा नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

vii— आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीपीई) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ०एस०एस० के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

(7) लाइसेंस के लिए आवेदन— एफ०एस०एस० के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पंचायत विजयगढ़ के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण— नगर पंचायत विजयगढ़ अपनी वेब-साइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

(9) लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क— नगर पंचायत विजयगढ़ लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पंचायत विजयगढ़ के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

(10) परफॉरमेंस गारंटी— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

(11) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार— नगर पंचायत विजयगढ़ समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

(12) जागरूकता अभियान— नगर पंचायत विजयगढ़ इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ०एस०एस० को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5

एफ०एस०एस० की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—

(13) संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—

i— एफ०एस०एस० की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पंचायत विजयगढ़ के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत विजयगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

ii— मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग/स्लजों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की दिनांक तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ०एस०एस० की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

(14)– एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क–

i– एफ0एस0एस0 की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पंचायत विजयगढ़ के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

ii– जब नगर पंचायत विजयगढ़ शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

iii– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि बसूल नहीं करेगा/करेगी।

iv– एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क के अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

(15) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन–

i– एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों या नगर पंचायत विजयगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

ii– वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

iii– एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।

iv– एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

v– वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

vi– एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेंगे।

(16) परिवहन के दौरान सावधानियाँ– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

(17) दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय– एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

(18) दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता– किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया गया है।

(19) तैनात कर्मों/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के

लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” में तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

(20) एफ0एस0एस0 का निपटान—

i— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

ii— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म नगर पंचायत विजयगढ़ के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगी/करेगी।

(21) कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

(22) कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पंचायत विजयगढ़ को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

(23) बीमा— एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

(24) लाइसेंस रद्द करना— इन विनियमों सहित “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉर्मेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

(25) उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान— नगर पंचायत विजयगढ़ ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहाँ एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत विजयगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

(26) एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन— नगर पंचायत विजयगढ़ आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाए गए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

(27) एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती— प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु नगर पंचायत विजयगढ़ पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

(28) एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय— नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर नगर पंचायत विजयगढ़ के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

(29) औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ०एस०एस० को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

(30) एफ०एस०एस०एम० में प्रशिक्षण— नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ०एस०एस० प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

(31) उपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का पुनः उपयोग—

i— नगर पंचायत विजयगढ़ किसानों को अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ०एस०एस०टी०पी० से उपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ii— नगर पंचायत विजयगढ़ शहर में डी०डब्ल्यू०डब्ल्यू०टी० से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

iii— किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पंचायत विजयगढ़ से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

(32) प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

i— इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

ii— डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएँ प्रदान करने के लिए नगर पंचायत विजयगढ़ समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

(33) निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ०एस०एस०डब्ल्यू० उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(34) उल्लंघन और दण्ड—

i— इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

ii— (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति—(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) न विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पंचायत विजयगढ़ के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ०एस०एस०/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

iii— इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ०एस०एस० परिवहन वाहन, एफ०एस०एस०डब्ल्यू० उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

iv— जहाँ कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (₹ 5,000.00) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और

इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000.00) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

v— संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

(35) अपील—कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पंचायत विजयगढ़ के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

(36) विवाद समाधान उपबंध— कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल विजयगढ़ शहर होगा।

(37) संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

(38) राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार न नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

1— मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पंचायत विजयगढ़ नगर पंचायत विजयगढ़ से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

2— मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण एवं परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

3— एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

4— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

5— डी-स्लजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

6— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और न0पं0 विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुँच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

7— किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9— वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जायेगा।

10— लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

11— एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना, बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सकें।

12— लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

13— लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय नगर पंचायत विजयगढ़ को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

14— एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

15— इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदंड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट-5

दण्ड और जुर्माना—

{ इस विनियम के खण्ड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें }

क्र० सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप से कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	50	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	15 रु0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओ0एस0एस0 का अवैज्ञानिक डिजाईन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	15 रु0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बी0एन0पी0पी0 पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकर (रों) को आपरेट करना	5	50	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	15 रु0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण (णों) के बिना वैक्यूम टैंकर (रों) को आपरेट करना	6	50	

1	2	3	4	5
			रुपये—	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैरअनुपालन	17, 18	1,000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17, 18	1,000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17, 18	100 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ०एस०एस०टी०पी०/एस०टी०पी० से अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	100 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पंचायत विजयगढ़ द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

अध्यक्ष,
नगर पंचायत विजयगढ़,
अलीगढ़।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

निर्वाचन, 2025-26

25 फरवरी, 2026 ई०

सं० 66/2026—बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश निर्वाचन, 2025-26 से सम्बन्धित जनपद-लखनऊ का निर्वाचन दिनांक 27/28.01.2026 को होना था, किन्तु कतिपय अव्यवस्थाओं के कारण उसे माननीय हाई पावर इलेक्शन कमेटी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 1319/23 एम० वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांकित 18.11.2025 के द्वारा गठित की गयी है, के द्वारा निरस्त कर दिया गया था एवं उपर्युक्त वर्णित रिट याचिका संख्या (सिविल) 1319/23 में प्रस्तुत इन्टरवीनिंग एप्लीकेशन संख्या 45414/26 में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2026 के अनुसार माननीय हाई पावर इलेक्शन कमेटी को लखनऊ जनपद का पुनः चुनाव से सम्बन्धित तिथि एवं तदुपरान्त मतगणना के सम्बन्ध में तिथि निश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में माननीय हाईपावर इलेक्शन कमेटी को प्रेषित अनुरोध के दृष्टिगत माननीय हाई पावर इलेक्शन कमेटी की दिनांक 19.02.2026 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं निर्देशानुसार लखनऊ जनपद से सम्बन्धित चुनाव के लिये माननीय सदस्य, हाईपावर इलेक्शन कमेटी न्यायमूर्ति श्री ए०आर० मसूदी, पूर्व न्यायाधीश,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, माननीय न्यायमूर्ति निर्वाचन अधिकारी, माननीय न्यायमूर्ति पर्यवेक्षक महोदय व चुनाव अधिकारी की बैठक माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ व नामित पीठासीन अधिकारी एवं लखनऊ जनपद के प्रशासनिक अधिकारी गण के साथ दिनांक 23.02.2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार लखनऊ जनपद का चुनाव 05 दिन अर्थात् दिनांक 11 मार्च, 2026 से 15 मार्च, 2026 तक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के परिसर में स्थित आडिटोरियम हॉल, निकट अवध बार एसोसिएशन कैन्टीन व अवध बार एसोसिएशन, लाइब्रेरी के निकट हॉल में निम्नवत् सम्पन्न होगा।

दिनांक	पंजीकरण वर्ष	मूल मतदाता सूची क्रमांक	अनुपूरक मतदाता सूची क्रमांक	कुल मतदाता
11.03.2026	वर्ष 1962 से 2000	01 से 5410	01 से 49	5459
	दिनांक 01.01.1962 से 31.12.2000 तक के पंजीकृत अधिवक्ता ही दिनांक 11 मार्च, 2026 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक मतदान करेंगे।			
12.03.2026	वर्ष 2001 से 2010	5411 से 11042	50 से 80	5663
	दिनांक 01.01.2001 से 31.12.2010 तक के पंजीकृत अधिवक्ता ही दिनांक 12 मार्च, 2026 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक मतदान करेंगे।			
13.03.2026	वर्ष 2011 से 2018	11043 से 16575	81 से 138	5591
	दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2018 तक के पंजीकृत अधिवक्ता ही दिनांक 13 मार्च, 2026 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक मतदान करेंगे।			
14.03.2026	वर्ष 2019 से 2021	16576 से 20575	139 से 192	4054
	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021 तक के पंजीकृत अधिवक्ता ही दिनांक 14 मार्च, 2026 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक मतदान करेंगे।			
15.03.2026	वर्ष 2022 से 2025	20576 से 25684	193 से 974	5891
	दिनांक 01.01.2022 से 23.10.2025 (पंजीकरण संख्या यू0पी0 34931/25) तक के पंजीकृत अधिवक्ता ही दिनांक 15 मार्च, 2026 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक मतदान करेंगे।			

वास्ते निर्वाचन अधिकारी,
रामकिशोर शुक्ल,
सचिव/चुनाव अधिकारी,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

निर्वाचन, 2025-26

विज्ञप्ति

30 जनवरी, 2026

दिनांक 27/28.01.2026 को लखनऊ जनपद से सम्बन्धित चुनाव की अव्यवस्था के दृष्टिगत वहां का चुनाव को निरस्त हो जाने के उपरान्त जनपद-लखनऊ के मतदाताओं की संख्या से जनपद-प्रयागराज के मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 1319/23 एम० वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में प्रस्तुत इन्टरवीनिंग एप्लीकेशन 29727/2026 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुसार जनपद-प्रयागराज में चुनाव की तिथि 30/31.01.2026 को दिनांक 02.02.2026 तक विस्तारित किया गया।

वास्ते निर्वाचन अधिकारी,
रामकिशोर शुक्ल,
सचिव/चुनाव अधिकारी,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० प्रतिभा (Km Pratibha) पुत्री रमई प्रसाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9085 3377 2397 में मेरा नाम कु० प्रतिभा (Km Prathibha) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० प्रतिभा (Km Pratibha) पुत्री रमई प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० प्रतिभा पुत्री रमई प्रसाद
निवासी- ग्राम परशुरामपुर पो० जजौली,
जिला मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समर प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रेण कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2402 4427 5882 में उसका नाम आर्यन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समर प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रेण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इन्द्रेण कुमार,
पता- मझगवाँ पो० चील्ह,
जिला मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उन्नति मिश्रा पुत्री राहुल मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-6647 8202 7719 में उसका नाम गौरवी मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उन्नति मिश्रा पुत्री राहुल मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राहुल मिश्रा पुत्र एम०डी० मिश्रा,
निवासी- 14/89, आदर्श कालोनी,
चक मुण्डेरा, गयासुद्दीनपुर उपरहार धूमनगंज,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व वर्मा (ATHARV VERMA) पुत्र विकल्प वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6984 6748 2170 में मेरे पुत्र का नाम भाव वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकल्प वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा,
निवासी- मो० खत्रीपुरा थाना कोतवाली नगर,
जिला बहराईच।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर्यन कन्स्ट्रक्शन पी०ए०सी० रोड खुशालपुर मुरादाबाद स्थित हैं उपरोक्त फर्म में श्री अनिल कुमार धवन, श्री नवीन कुमार धवन, श्री मुदित कुमार अग्रवाल निवासी मुरादाबाद हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म 01 अगस्त, 2011 को संचालन करी थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से आर्यन धवन, इस फर्म में साझेदार हो गये हैं और 31 मार्च, 2025 से अनिल कुमार धवन, इस फर्म से पृथक हो गये हैं, अब फर्म को नवीन कुमार धवन, व मुदित कुमार अग्रवाल, आर्यन धवन हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नवीन कुमार धवन,
साझेदार,
मेसर्स आर्यन कन्स्ट्रक्शन पी०ए०सी० रोड,
खुशालपुर मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम स्वास्तिक त्रिपाठी आत्मज श्री धीरज त्रिपाठी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8014 8729 5683 में उसका नाम कृष्ण दास त्रिपाठी अंकित है, जो कि अशुद्ध एवं गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वास्तिक त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

धीरज त्रिपाठी,
निवासी-ग्राम, ताजपुर पुरे लौनाखार पो० ताजपुर,
तह० कुण्डा प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमान सिंह (ANSHUMAN SINGH) पुत्र स्व० मुन्ना कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8692 4639 8344 में उसका नाम अंधुमान सिंह (ANDHUMAN SINGH) दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का शुद्ध व सही नाम अंशुमान सिंह (ANSHUMAN SINGH) पुत्र स्व० मुन्ना कुमार सिंह है तथा भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ज्योती सिंह पत्नी स्व० मुन्ना कुमार सिंह,
ग्राम जगदीशपुर, पो० राजेपुर, तह० सदर,
जिला जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अक्षिता विश्वकर्मा पुत्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8887 2914 2834 में उसका नाम श्रेया विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अक्षिता विश्वकर्मा पुत्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा,
पता-बदलावन का पुरवा बरई,
कुण्डा प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरुल राज यादव (Aarul Raj Yadav) पुत्र गणेश यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2353 8978 6221 में उसका नाम सक्षम यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरुल राज यादव पुत्र गणेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गणेश यादव पुत्र पतिराज यादव,
निवासी- सुरहन सुरहन आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ध्रुविका पाठक (DHRUVWIKAA PATHAK) पुत्री शैलेन्द्र कुमार पाठक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3284 5757 2151 में मेरी पुत्री का नाम आराध्या पाठक अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ध्रुविका पाठक पुत्री शैलेन्द्र कुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैलेन्द्र कुमार पाठक पुत्र ए0एन0 पाठक,
निवासी- नई कालोनी बैरिहवा पोस्ट गांधीनगर,
जनपद बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बच्ची देवी पुत्री भीमसेन है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व वोटर आई0डी0, उपजिलाधिकारी की जांच आख्या, पैन कार्ड व खतौनी में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9257 9605 5768 में मेरा नाम फूलकुमारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बच्ची देवी पुत्री भीमसेन व पत्नी स्व0 सुरेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बच्ची देवी, पुत्री भीमसेन पत्नी सुरेश,
निवासिनी- बरवार, तहसील मऊ,
पो0 भण्डार मऊ, जिला चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अतुल विश्वकर्मा पुत्र भीम विश्वकर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6991 8198 3646 में उसका नाम रितेश विश्वकर्मा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अतुल विश्वकर्मा पुत्र भीम विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

भीम विश्वकर्मा,
अमीलहा गोतनी, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी साधना मिश्रा पुत्री श्री जय प्रकाश मिश्रा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5810 6118 4849 में मेरा नाम साधना तिवारी (SADHANA TIWARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुमारी साधना मिश्रा (SADHANA MISHRA) पुत्री जय प्रकाश मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुमारी साधना मिश्रा,
मो० कमला नगर, कलेक्टरगंज,
जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शीतला प्रसाद (Shitla Prasad) पुत्र बाबूलाल पटेल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 3884 8715 5570 में मेरा नाम अनिल कुमार पटेल अंकित होग या है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शीतला प्रसाद पुत्र बाबूलाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शीतला प्रसाद पुत्र बाबू लाल पटेल,
निवासी- सरैया नं० 2 पोस्ट सुल्तानपुर,
सारनाथ वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अश्मिता के सिंह पुत्री अनूप सिंह है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-6089 6720 4281 में उसका नाम इवान्या सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्मिता के

सिंह (Asmita K Singh) पुत्री अनूप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरुण शिखा,
निवासी- 656 ज, उत्तरी गौतम नगर,
G.G.I.C. पूर्वी गली I.I.I रोड फतेहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आस्तिक यादव पुत्र धीरज कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7085 4115 0516 में उसका नाम रिधांश यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आस्तिक यादव पुत्र धीरज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

धीरज कुमार पुत्र स्व० पुन्नू लाल,
निवासी- 59 धुस्सा परगना व तहसील
सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पटेल अखिलेश कन्हैयालाल पुत्र कन्हैया लाल पटेल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8982 4121 7463 में मेरा नाम अखिलेश पटेल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पटेल अखिलेश कन्हैयालाल पुत्र कन्हैयालाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पटेल अखिलेश कन्हैयालाल,
पुत्र कन्हैयालाल पटेल,
निवासी- म० नं०- 10 चोरबना,
पोस्ट-अमिलियाकलां, मेजा, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्धनाम बेबी नायक है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल प्रमाण पत्र सह अंकपत्र (अनुक्रमांक 23256429/2022) में तथा मेरे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, सह अंक पत्र (अनुक्रमांक 23754894/2024) में मेरी माता जी का नाम किरन नायक अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हरिषिता नायक पुत्री श्री विनोद नायक,
पता— ग्राम रसूलपुर पोस्ट सुमहा मेंहदावल,
जिला संत कबीर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भविका प्रजापति पुत्री संजय कुमार प्रजापति है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 5813 7112 6777 में उसका नाम ब्युटी प्रजापति हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भविका प्रजापति पुत्री संजय कुमार प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार प्रजापति, पुत्र कोलाई प्रजापति,
पता— 3/248 विशाल खण्ड,
सी0एम0एस0 स्कूल गोमती नगर,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सम्पन्न आर्यश गुप्ता (SAMPANN ARYASH GUPTA) पुत्र वैभव गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7543 4020 5904 में उसका नाम आर्यश गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सम्पन्न आर्यश गुप्ता (SAMPANN

ARYASH GUPTA) पुत्र वैभव गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वैभव गुप्ता, पुत्र श्री सतीश चन्द्र गुप्ता,
पता— 1127, पुराना कटरा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ननकू पुत्र अमरनाथ है जो कि मेरे बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, जाब कार्ड, राशन कार्ड, खतौनी एवं उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5821 9745 6191 में मेरा नाम राकेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ननकू पुत्र अमरनाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ननकू पुत्र अमरनाथ,
निवासी— ग्राम जगदीशपुर मसनी,
अटरामपुर उर्फ नवाबगंज तहसील सोरांव,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियंका (Priyanka) पुत्री जय प्रकाश है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7969 6689 6637 में मेरा नाम संध्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियंका पुत्री जय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रियंका पुत्री जय प्रकाश,
नि0— सारंगपुर सुल्तानपुर,
कोटवा लहनगरई सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजीव मोहन (RAJEEV MOHAN) पुत्र मदन मोहन लाल (MADAN MOHAN LAL) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे RELIANCE PETROLIUM LIMITED के शेयर सर्टिफिकेट के Folio No. 006579108, RELIANCE CAPITAL VENTURES LIMITED Folio No. 001915304, RELIANCE INDUSTRIES LIMITED Folio No. 106579108 में मेरा नाम बबलू श्रीवास्तव (BABLOO SRIVASTAVA) पुत्र मदन मोहन लाल अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजीव मोहन (RAJEEV MOHAN) पुत्र मदन मोहन लाल (MADAN MOHAN LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजीव मोहन पुत्र मदन मोहन लाल,
A/503 ब्लॉक-A, सेक्टर-4 कावेरी अपार्टमेन्ट,
गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र पटेल (RAJENDAR PATEL) पुत्र श्रीराम पटेल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8482 6539 1701 में मेरा नाम राजेंद्र पटेल (RAJENDRA PATEL) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र पटेल (RAJENDAR PATEL) पुत्र श्रीराम पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजेन्द्र पटेल,
ग्राम मिश्रपुर तरौल, पोस्ट संराय भीमसेन,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अम्बरीन हाशमी है जैसा कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4759 2288 4704 में मेरा नाम अमरीन अजीम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अम्बरीन हाशमी पुत्री मो0 जफर सईद हाशमी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अम्बरीन हाशमी,
निवासी- कसैंदा, चायल, कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का सही नाम रेखा सिंह है जो मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 5702798/2014, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र एवं मेरे माता पिता के विवाह विच्छेद (DIVORCE) के पेपर में भी अंकित है त्रुटिवश मेरे इण्टर मीडिएट (12वीं) के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के अनुक्रमांक 5689866/2016 में मेरी माता का नाम नीलम सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दिव्या सिंह पुत्री स्व0 दीन दयाल सिंह,
प्लैट नं0-605, बसन्त इन्वलेव,
राजेन्द्र नगर ईस्ट, गोरखनाथ,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पिकी विश्वकर्मा PINKI VISHWKARMA पुत्री भरत विश्वकर्मा है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6657 8381 7155 में मेरा नाम पिकी सुरज विश्वकर्मा PINKI SURAJ VISHVAKARMA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पिकी विश्वकर्मा PINKI VISHWKARMA पुत्री भरत विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पिकी विश्वकर्मा,
8/85 चौर बरकी, पोस्ट सेवापुरी,
जिला वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सौम्य प्रांजल पाण्डेय (SOUMY PRANJAL PANDEY) पुत्र राजीव कुमार पाण्डेय है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 9071 3282 0941 में उसका नाम सौम्य प्रांजल पाण्डेय (SAUMYA PRANJAL PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सौम्य प्रांजल पाण्डेय (SOUMY PRANJAL PANDEY) पुत्र राजीव कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव कुमार पाण्डेय,
पुत्र विनय कुमार पाण्डेय,
निवासी-295/3ई/2, शिवकुटी तेलियरगंज,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम किट्टू जायसवाल (Kittu Jaiswal) पुत्री अभिमन्यु जायसवाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4575 4281 2891 में मेरा नाम श्रेया जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम किट्टू जायसवाल (Kittu Jaiswal) पुत्री अभिमन्यु जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

किट्टू जायसवाल,
पुत्री अभिमन्यु जायसवाल,
निवासी- पंच रुखिया भिटौली बाजार,
महराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमरिन्दर सिंह (AMRINDAR SINGH) पुत्र रविन्द्रपाल सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3658 8706 8289 में मेरा नाम गुरुवंश सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमरिन्दर सिंह (AMRINDAR SINGH) पुत्र रविन्द्रपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमरिन्दर सिंह पुत्र रविन्द्रपाल सिंह,
निवासी- बी017/26 तिलभाण्डेश्वर,
थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयशा फातिमा (Ayisha Fatima) पुत्री मो० इरफान अली है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-2153 9033 3250 में उसका नाम इंशा फातिमा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयशा फातिमा (Ayisha Fatima) पुत्री मो० इरफान अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो० इरफान अली,
पुत्र हाफिज हबीब अहमद,
निवासी- डी०-51/23 ए.1 सूरज कुण्ड,
पान दरीबा वाराणसी, यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांश पाल (Aayaansh Pal) पुत्र राज कुमार पाल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5298 5109 2226 में उसका नाम मारकरम पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांश पाल (Aayaansh Pal) पुत्र राज कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रंजू पाल पत्नी राज कुमार पाल,
निवासी-कटहुला गौसपुर बमरौली,
सदर प्रयागराज, यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम चौरसिया पुत्र संजय कुमार चौरसिया (Shivam Chaurasiya S/o Sanjay Kumar Chaurasiya) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9890 5255 6504 में उसका नाम ध्रुवराज अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवम चौरसिया पुत्र

संजय कुमार चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार चौरसिया, पुत्र श्री हीरालाल,
पता-828, मुन्शीगंज सरायखेमा,
तहसील व जिला अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदि पाल (Aadi Pal) पुत्र राज कुमार पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7296 2037 1429 में उसका नाम मात्रम पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदि पाल पुत्र राजकुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रंजू पाल पत्नी राजकुमार पाल,
निवासी-कटहुला गौसपुर बमरौली,
सदर प्रयागराज, उ०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हितिका पाठक (HITVIKA PATHAK) पुत्री शैलेन्द्र कुमार पाठक है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2663 6544 9425 में मेरा नाम अनन्या पाठक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हितिका पाठक पुत्री शैलेन्द्र कुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हितिका पाठक पुत्री शैलेन्द्र कुमार पाठक,
निवासी-नई कालोनी बैरहवा पोस्ट गांधीनगर,
जनपद बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रामचन्द्र (RAMCHANDRA) पुत्र जिलेन्द्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2886 1299 3181 में उसका नाम रामचन्द्र (RAMCHANDR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रामचन्द्र (RAMCHANDRA) पुत्र जिलेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जिलेन्द्र,
पता- ग्राम पुरा कोदई डिहवा,
पोस्ट समशाबाद, थाना अहरौला,
आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोनू पुत्र राम अवध है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों पैन कार्ड तथा परिवार रजिस्टर में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-4745 8325 1800 में मेरा नाम अभय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोनू पुत्र राम अवध के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सोनू पुत्र राम अवध,
गांव सुकृत, पाट सुकृत जिला रौबर्तसगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रेया सिंह (SHREYA SINGH) पुत्री संतोष कुमार सिंह (SANTOSH KUMAR SINGH) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8498 5636 2064 में मेरा नाम लक्ष्मी सिंह (LAXMI SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रेया सिंह पुत्री संतोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्रेया सिंह,
पुत्री संतोष कुमार सिंह,
पता-पश्चिमपुर (अहरक),
पोस्ट- जमालपुर जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिफाह आलम (RIFAH ALAM) पुत्र नफीस आलम है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8451 2882 3150 में मेरा नाम रिफा आलम (RIFAH ALAM) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रिफाह आलम (RIFAH ALAM) पुत्र नफीस आलम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रिफाह आलम,
नि०- 165 जी०टी०बी० नगर,
ऊँचा नीचा पार्क, करेली प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियंवदा (PRIYAMVADA) पुत्री अरविन्द प्रकाश गोंड है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 2048 9264 1157 में उसका नाम प्रिन्यावादा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रियंवदा (PRIYAMVADA) पुत्री अरविन्द प्रकाश गोंड के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरविन्द प्रकाश गोंड पुत्र शम्भू राम,
पता-छित्तपुर वाराणसी,
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुमन जायसवाल पत्नी मुकेश कुमार जायसवाल है जो कि मेरे बैंक पासबुक, पैन कार्ड, बिजली बिल की रसीद हाउस टैक्स की रसीद तथा उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5481 0762 0043 में मेरा नाम सुमन जासवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम सुमन जायसवाल (SUMAN JAISWAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुमन जायसवाल,
पत्नी मुकेश कुमार जायसवाल,
निवासिनी- 1708/1255सी/1 मीनापुर,
मालवीय नगर प्रयागराज।

सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम शशांक कुशवाहा (SHASHANK KUSHWAHA) पुत्र बाल कृष्ण चन्द्र आजाद, है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6701 8542 0237 में उसका नाम शंशक कुशवाहा (SHANSHAK KUSHWAHA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शशांक कुशवाहा (SHASHANK KUSHWAHA) पुत्र बाल कृष्ण चन्द्र आजाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

बाल कृष्ण चन्द्र आजाद,
निवासी-79/37/1,
नयापुरा करेली प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कृष्ट कौशिक पुत्र श्री अजीत कुमार सिंह (UTKRIST KAUSHIK S/o MR- AJEET KUMAR SINGH) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8142

8177 6536 में उसका नाम सक्षम सिंह पुत्र अजीत कुमार सिंह हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कृष्ट कौशिक पुत्र अजीत कुमार सिंह (UTKRIST KAUSHIK S/o MR- AJEET KUMAR SINGH) के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अजीत कुमार सिंह
चेवर संगपुर, चेवर पश्चिम,
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित जाता है कि मेरा सही नाम की LILAVATI पुत्री श्री जगराज सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 2038 9174 0865 मे मेरा नाम रीता सिंह उर्फ लीलावती सिंह हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लीलावती पुत्री जगराज सिंह पत्नी श्री अनूप कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लीलावती, पुत्री जगराज सिंह,
6 कन्दौली पो0 बदरौली केसरगंज,
जिला बहराईच, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० सरला यादव पुत्री रामलखन यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8383 7554 4789 में मेरा नाम सरला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० सरला यादव पुत्री स्व० रामलखन यादव, पत्नी बजरंग बहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सरला यादव
पुत्री रामलखन यादव
पुरे लक्ष्मन महियामऊ, जेठवारा, प्रतापगढ़।

सूचना

एत द्वाऱा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुनील कुमार जायसवाल पता सा०-दक्षिणटोला, जनपद-मऊ, उ०प्र० से दिनांक 01 अप्रैल 2005 से पंजीकृत है। यह कि फर्म के चार साझेदार श्री सुनील कुमार जायसवाल, श्री प्रदीप कुमार जायसवाल, श्रीमती सुनीता जायसवाल एवं श्रीमती ज्योति जायसवाल साझेदार थे। दिनांक 16 नवम्बर 2016 को श्रीमती ज्योति जायसवाल पत्नी श्री सुधीर कुमार जायसवाल एवं दिनांक 19 मार्च 2026 को श्री प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र स्व० बैजनाथ प्रसाद जायसवाल जो कि फर्म मेसर्स सुनील कुमार जायसवाल से अपनी साझेदारी समाप्त करके अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से अलग हो गये हैं। उक्त फर्म से अलग हुये साझेदारों का फर्म की सम्पत्तियों एवं साख से कोई भी किसी तरह का सरोकार नहीं है एवं फर्म के ऊपर उनका कोई भी किसी तरह का लेन-देन व बकाया नहीं है और न ही फर्म का उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का लेन-देन व बकाया नहीं है। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः सुनील कुमार जायसवाल प्रथम एवं श्रीमती सुनीता जायसवाल द्वितीय, साझेदार के रूप में हैं तथा उक्त फर्म का संचालन करेंगे।

एत द्वाऱा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार जायसवाल,
साझेदार,
मेसर्स सुनील कुमार जायसवाल,
दक्षिणटोला मऊ।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Pranav Singh son of Abhay Pratap Singh which is mentioned in his educational records. Due to a mistake, his name has been as mentioned Pranshu Singh in my son's Aadhar Card Number 2329 1124 9775 which is wrong. In future my son should be known and recognized by his correct name Pranav Singh son of Abhay Pratap Singh. It is hereby certified that all the

formalities in connection with the above have been completed by me.

Abhay Pratap Singh,
S/o Jagdish Bahadur Singh,
Resident of Pure Motilal Katra,
Gulab Singh Jetwara,
District Pratapgarh UP.

NOTICE

This is to inform the general public that my son's correct name is Apoorva Yadav S/o Sushil Kumar, which is mentioned in his educational records. By mistake, my son's name has been mentioned as Vansh Kumar in his Aadhaar Card Number 8575 9203 0659, which is wrong. In future, my son should be known and recognized by his correct name Apoorva Yadav S/o Sushil Kumar.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Sushil Kumar
S/o Ramdhari Yadav
Add- House No- 4/4 Wajidpur,
Ramnagar, Varanasi.

NOTICE

This is to inform the general public that my son's correct name is Shreyash Yadav S/o Sudhir Kumar, as mentioned in his educational records. However, my son's name has been mistakenly listed as Shivansh Kumar on his Aadhaar Card Number- 4563 0251 5096, which is incorrect. In the future, my son should be known and recognized by his correct name Shreyash Yadav S/o Sudhir Kumar.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Sudhir Kumar,
S/o Ramdhari Yadav
Add- House No- 4/4, Wajidpur,
Ramnagar, Varanasi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सन्यास ग्रहण करने के पूर्व मेरा नाम मनुवन पुत्र प्रेम सिंह था। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त मेरे गुरु महन्त बलवीर गिरी द्वारा मेरा नाम महेन्द्र गिरी रख दिया गया है। भविष्य में मुझे महेन्द्र गिरी शिष्य महन्त बलवीर गिरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के समबन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

महेन्द्र गिरी
शिष्य महन्त बलवीर गिरी
777/1 बाघम्बरी रोड, मठ श्री बाघम्बरी गद्दी,
अल्लापुर थाना जार्ज टाउन,
इलाहाबाद, प्रयागराज,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रशीदा जमीर (RASHEEDA ZAMIR) पुत्री मो० जमीर खाँ है। जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 2976 0364 8759 में मेरा नाम रशीदा महबूब (RASHEEDA MAHBOOB) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रशीदा जमीर पुत्री मो० जमीर खाँ पत्नी महबूब अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रशीदा जमीर पत्नी महबूब अहमद
निवासिनी- 112 गुलाब बाड़ी, मंसूर पार्क,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स माँ दुर्गा बिल्डर्स 1/862 रुचि खंड 1 शारदा नगर लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार- श्री जगत नारायण

शुक्ला एवं श्रीमती गायत्री शुक्ला साझेदार थे। दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को श्रीमती गायत्री शुक्ला का निधन हो गया है दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें सुश्री शिवा शुक्ला साझेदार के रूप में शामिल हो गयी है तथा इसी दिनांक को श्रीमती गायत्री शुक्ला फर्म की साझेदारी से निकल गयी है साथ ही फर्म का पता परिवर्तन होकर नया पता 12-बी / 983 सेक्टर-12 बी वृंदावन योजना नंबर 3 रायबरेली रोड लखनऊ 226029 हो गया है, वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री जगत नारायण शुक्ला एवं सुश्री शिवा शुक्ला साझेदार हैं।

जगत नारायण शुक्ला,
साझेदार,
मेसर्स माँ दुर्गा बिल्डर्स

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हाईनेस कान्स्ट्रक्शन पता-11 पलोर, समिट स्पेस समिट बिल्डिंग, टीसीजी-3/3, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 4 साझेदार- श्रीमती जूली फिरोज, श्रीमती रुचि अग्रवाल, श्रीमती साधना सिंह एवं श्रीमती सिद्धी सागरिका, साझेदार थे। दिनांक 30 मार्च, 2024 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें मेसर्स हाईनेस इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर श्रीमती रुचि अग्रवाल, एवं मेसर्स श्री साई रियलइन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर, शक्ति सिंह साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती जूली फिरोज, श्रीमती रुचि अग्रवाल, मेसर्स हाईनेस इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर श्रीमती रुचि अग्रवाल, एवं मेसर्स श्री साई रियलइन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर, शक्ति सिंह अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि को श्री मोहम्मद मुर्तजा जुल्फीकार अली साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्रीमती साधना सिंह, श्रीमती सिद्धी सागरिका एवं श्री मोहम्मद मुर्तजा जुल्फीकार अली, साझेदार हैं।

श्रीमती साधना सिंह,
साझेदार,
मेसर्स हाईनेस कान्स्ट्रक्शन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर०एस०बिल्डर्स पता— डी-61, पल्लव पुरम फेस-1, मोदीपुरम, जिला मेरठ, उ०प्र० की पाटनर्स शिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को हुई थी, जिसके अनुसार फर्म, में तीन साझेदार 1. श्री दिनेश कुमार त्यागी 2. श्री ऋषभ त्यागी 3. रूपेश कुमार अग्रवाल थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार फर्म में से साझेदार नं० 3. श्री रूपेश कुमार अग्रवाल अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गये हैं, तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन-देन बाकी नहीं है, संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री दिनेश कुमार त्यागी 2. श्री ऋषभ त्यागी रहेंगे।

दिनेश कुमार त्यागी,
साझेदार,
मेसर्स आर०एस०बिल्डर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म फर्म मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज, ग्राम-सथरी, पो०-चौरी चौरा, तहसील व थाना- चौरीचौरा जनपद गोरखपुर उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 09 मार्च, 2015 से श्री मो० परवेज खान एवं श्रीमती शकीलून निशा जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं०- G-4322 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 28 मार्च, 2026 से द्वितीया साझेदार श्रीमती शकीलून निशा जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुकी है, एवं दिनांक 28 मार्च, 2026 से श्रीमती निलोफर खान जी उक्त फर्म में द्वितीया साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री मो० परवेज खान एवं श्रीमती निलोफर खान जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

मो० परवेज खान,
साझेदार,
मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज, ग्राम-सथरी,
पो०-चौरी चौरा, तहसील व थाना चौरी चौरा,
जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स काशवी बिल्डर्स 10/9, सिविल लाइन्स निकट 132 के०बी० पावर हाउस बरेली, उत्तर प्रदेश-243005 जिसकी पंजीकरण सं०- BAR/0020075 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 12 दिसम्बर 2024 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है। उपरोक्त फर्म से एक साझेदार श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री सीता राम वार्ष्णेय की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 21 जनवरी 2026 को हो गयी। उपरोक्त फर्म में दिनांक 18 मार्च 2026 को एक नया साझेदार श्रीमती सोनम पत्नी श्री हर्षित गुप्ता को पूर्व साझेदार की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हुई। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार कमशः 1. हर्षित गुप्ता 2. सोनम है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हर्षित गुप्ता
साझेदार
मेसर्स काशवी बिल्डर्स,
पता 10/9, सिविल लाइन्स, निकट 132,
के.बी. पावर हाउस, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम शिव कन्सट्रक्शन्स पता म० नं०- 724 सिविल लाईन, साउथ, तहसील सदर मुजफ्फरनगर उ०प्र०- 251002 जिसकी पंजीकरण सं०-18475-एम दिनांक 04 सितम्बर, 2025, उक्त फर्म में महीपाल सिंह, कुलदीप सिंह, पुष्कर गर्ग पार्टनर थे, जिसमें एक पार्टनर श्री पुष्कर गर्ग दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को स्वेच्छा से साझेदारी समाप्त की है। अब फर्म में महीपाल सिंह, व कुलदीप सिंह साझेदार हैं।

महीपाल सिंह,
पार्टनर,
मेसर्स ओम शिव कन्सट्रक्शन्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s CMYK POLYMERS, C-33, Sector-03, Ansal Township, Sushant City, Bypass Road, Meerut UP 250103 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Vishal Jain, Shri Rajeev Katula, Shri Hitesh Katula, Shri Brijesh Katula and Shri Ajay Kumar Jain साझीदार थे। दिनांक 22 नवम्बर, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Ajay Kumar Jain S/o Late Shri Tarsem Kumar Jain अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 22 नवम्बर, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Vishal Jain, Shri Rajeev Katula, Shri Hitesh Katula, Shri Brijesh Katula साझीदार हैं तथा फर्म का पता परिवर्तन कर "Khasra No-77, Mohiuddinpur, Meerut UP 250205 कर दिया गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विशाल जैन

साझीदार

M/S CMYK POLYMERS,
Khasra No-77, Mohiuddinpur,
Meerut, UP 250205

सूचना

सर्व साधारण को सूचित करना है M/s CONCEPT CONSTRUCTION, 509 New Shivpuri (Near Mahila Degree College) Khurja, Dist-Bulandshahr-203131 की संशोधित साझीदारीनामा में श्री विनोद कुमार तेवतिया, श्रीमती पुष्प लता देवी एवं वर्षा साझीदार थे। दिनांक: 26 फरवरी, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्रीमती रावि चौधरी साझीदारी में सम्मिलित हुई हैं तथा श्रीमती वर्षा अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हो गई हैं। दिनांक: 26 फरवरी, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री विनोद कुमार तेवतिया, श्रीमती पुष्प लता देवी एवं श्रीमती रावि

चौधरी साझीदार हैं तथा फर्म का पता Office-342, Paramount Golf Foreste. BGH-A, Site-C, Opp-Sector Zeta, Surajpur, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar UP 201306 हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनोद कुमार तेवतिया,

साझीदार

M/s CONCEPT CONSTRUCTION,
Office-342, Paramount Golf Foreste.
BGH-A, Site-C, Opp- Sector Zeta,
Surajpur, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar UP.

सूचना

अनवर सुलेमान पुत्र मोहम्मद सुलेमान निवासी 101/249, कर्नलगंज, कानपुर नगर, उ०प्र० 208001, मैं फर्म M/s SETPAL AUTO MOBILES 37/17-A, The Mall Opp- Nishat Cinema Kanpur U.P. 208001 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि० सं० 5085 पत्रावली सं० K-11943 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार फर्म में श्री दीपक सेतपाल व श्री अनवर सुलेमान साझीदार थे। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 28 मार्च, 2026 के अनुसार साझीदारी में श्री श्रेय जायसवाल पुत्र श्री रामू जायसवाल पता 13/382, परमठ, ग्वालटोली, कानपुर को दिनांक 07 मार्च, 2026 से शामिल किया गया है, तथा पूर्व साझीदार श्री दीपक सेतपाल पुत्र खेम चंद सेतपाल पता 411/ए, यशराज रेसीडेंसी, 10/1, मनोरमागंज. इंदौर दिनांक 08 मार्च, 2026 से साझीदारी से स्व इच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म में अब श्री श्रेय जायसवाल व श्री अनवर सुलेमान साझीदार हैं।

अनवर सुलेमान,

साझेदार,

M/s SETPAL AUTO MOBILES,
37/17-A, The Mall Opp- Nishat Cinema,
Kanpur U.P.